

फा.सं.11013/1/2016-स्था.क-III
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
(स्थापना क-III डेस्क)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 05 अगस्त, 2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 15(1)(ग) के तहत निर्वाचित पद धारण करने के लिए मंजूरी देने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 15(1)(ग) के अनुसार, कोई भी सरकारी सेवक सरकार की पूर्व मंजूरी को छोड़कर किसी भी निकाय में, चाहे वह निगमित हो अथवा नहीं, कोई निर्वाचित पद धारण नहीं करेगा, और न ही किसी निर्वाचित पद के लिए किसी उम्मीदवार अथवा उम्मीदवारों का प्रचार करेगा। डीओपीटी के दिनांक 22.04.1994 के का.ज्ञा. सं. 11013/9/93-स्था.(क) में भी यह निर्धारित किया गया था कि किसी भी सरकारी सेवक को किसी भी स्पोर्ट्स एसोसिएशन/फैडरेशन में 4 वर्ष से अधिक के कार्यकाल, अथवा एक कार्यकाल, जो भी कम हो, के लिए निर्वाचित पद धारण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.11.2007 के का.ज्ञा. सं. 11013/11/2007-स्था.(क) के अनुसार, सरकारी सेवक का सारा समय सरकार को ही उपलब्ध रहना चाहिए और उसके कार्यालयी कर्तव्यों से असंबद्ध किसी भी गतिविधि को ऐसे कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सभी मंत्रालयों से यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया था कि सहकारिता समितियों की गतिविधियों में सरकारी सेवकों की भागीदारी उक्त प्रावधानों के अनुरूप हों और उनके सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन में कोई हस्तक्षेप नहीं करें।

2. ऐसे उदाहरण संज्ञान में आए हैं जहां सरकारी सेवकों द्वारा विभिन्न क्षमताओं में निर्वाचित पदों को अनुचित रूप से दीर्घ अवधि के लिए धारण किया हुआ है। कुछ मामलों में, जहां इन निकायों के उपनियम ने किसी व्यक्ति के पद धारण करने के लिए क्रमिक कार्यकाल की संख्या सीमित कर रखी हैं, वहां यह सूचित किया गया है कि सरकारी सेवकों ने या तो एक अंतराल के बाद स्वयं को पुनः निर्वाचित करवा लिया है अथवा ऐसे निकायों पर नियंत्रण कायम रखने के उद्देश्य से प्रत्यायुक्त के रूप में किसी पारिवारिक सदस्य/करीबी रिश्तेदार को निर्वाचित करवा दिया है। ऐसे मामलों में, सरकारी सेवक अपने सरकारी कर्तव्यों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, जिसके फलस्वरूप यह संदेह उत्पन्न हो सकता है कि इन सरकारी सेवकों ने निहित हित भी विकसित कर लिए हैं, विशेषकर तब यदि निकाय, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, व्यावसायिक क्रियाकलापों में संलग्न हो।

3. सरकारी सेवकों द्वारा अपने संपूर्ण करिअर में किसी भी निकाय में निर्वाचित पद धारण करने वाले वर्षों की संख्या की ऊपरी सीमा नियत करने संबंधी नीति की समीक्षा की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी सेवक को किसी भी निकाय में चाहे वह निगमित हो अथवा नहीं, निर्वाचित पद धारण करने के लिए दो कार्यकाल अथवा 4 वर्ष की अवधि, जो भी पहले हो, के लिए अनुमति दी जा सकती है जिसके लिए पूर्व अनुमति तब आवश्यक होगी जब सरकारी सेवक, मौजूदा नियमों के अनुसार, ऐसे निकाय में कोई चुनाव लड़ता है।

4. अतः सक्षम प्राधिकारी के लिए सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 15(1)(ग) के अधीन अनुमित प्रदान करते समय सभी संगत पहलुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। यह भी आवश्यक है कि ऐसी मंजूरीयों के मामले की समय-समय पर समीक्षा की जाए तथा पूर्व में प्रदान की गई अनुमति को ऐसे मामलों में निरस्त कर दिया जहां सरकारी सेवक किसी भी निकाय, चाहे वह निगमित हो अथवा नहीं, में चार वर्ष से अधिक समय से पद धारित कर रहा हो अथवा ऐसे मामलों में जहां भ्रष्टाचार के आरोप हों, प्रतिकूल लेखापरीक्षा पैरा आदि हों। ऐसे मामलों में, संबंधित सरकारी सेवक को तत्काल ऐसे निकाय में उसके पद से त्यागपत्र देने का निदेश दिया जाए। वह इस पहलू पर ध्यान दिए बगैर कि उस निकाय में उसका त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है या नहीं उसे

दिए गए निदेशों की तारीख से ही वहां के कार्यों का निर्वहन करना रोक देगा। यह कार्रवाई ऐसे मामलों में तत्काल की जाए जहां मंत्रालयों और विभागों के पास पहले से ही सूचना मौजूद हो। इसके अतिरिक्त सभी मंत्रालयों और विभागों से कर्मचारियों की स्थिति की समीक्षा करने और भविष्य में सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 15(1)(ग) के अधीन मंजूरी प्रदान करने के अनुरोध पर विचार करने के लिए इस कार्यालय ज्ञापन के साथ संलग्न प्रपत्र में अपने कर्मचारियों की सूचना प्राप्त करने का भी अनुरोध किया जाता है।

5. यह कार्यालय ज्ञापन इस विभाग के दिनांक 22.04.1994 के का.ज्ञा.सं. 11013/9/93-स्था.(क) के अधिक्रमण में जारी किया जाता है।

6. जहां तक भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग के कर्मचारियों का संबंध है, यह कार्यालय ज्ञापन भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किया जाता है।

7. सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त अनुदेशों को अपने नियंत्रणाधीन सभी प्रशासनिक प्राधिकारियों के संज्ञान में लाएं।



(सतीश कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

सचिव,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।

(मानक सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि :

1. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
2. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
5. राज्य सभा सचिवालय/लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
6. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली।
7. सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग।
8. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
9. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली।
10. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अधीन सभी संबंधित कार्यालय।
11. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली।
12. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली।
13. राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली।
14. सचिव, राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम), 13, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
15. सभी मंत्रालयों/विभागों के सीवीओ
16. एडीजी (एम और सी) पत्र सूचना कार्यालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
17. एनआईसी, डीओपीटी, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली (इसे इस मंत्रालय की वेबसाइट पर अधिसूचनाएं- का.ज्ञा. एवं आदेश-स्थापना-सीसीएस (आचरण) नियमावली और नया क्या है शीर्षक के अधीन अपलोड करने के लिए)



(सतीश कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रपत्र

सरकारी सेवक का नाम और पदनाम	निकाय का नाम तथा सरकारी सेवक द्वारा समय-समय पर धारित निर्वाचित पद	विभिन्न अवधियां, जिनके दौरान उसने उस निकाय में वह निर्वाचित पद धारित किया है	क्या सरकारी सेवक का कोई पारिवारिक सदस्य या रिश्तेदार उस निकाय का निर्वाचित पद धारित कर रहा है या धारित किया है	क्या सरकारी सेवक उस निकाय से मानदेय/भत्ते आदि के रूप में कोई पारितोषिक प्राप्त करता है	उस निकाय द्वारा दिए गए कोई अनुलाभ या सुविधाएं जैसे कि कार/एयरकंडिशनर आदि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)